136

# समाहरणालय, समस्तीपुर
## जिला योजना कार्यालय
### (निविदा आमंत्रण सूचना)

दूरभाष सं०: 06274 225182 (का०)
फैक्स सं०: 06274 225182
E-mail:- dpo.spr@gmail.com

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय सांसद उजियारपुर (लोकसभा) द्वारा RO Water ATM की आपूर्ति/अधिष्ठापन हेतु अनुशंसा प्राप्त हुआ है। जिसके लिए मुहरबन्द निविदा जिला पदाधिकारी के निदेशानुसार आमंत्रित की जाती है। सभी प्रतिष्ठानो/फर्मो एवं उनके प्राधिकृत विक्रेता सामानों के आपूर्ति हेतु निम्नांकित शर्तो के साथ तकनीकी एवं वित्तीय निविदा मुहरबन्द लिफाफे में दिनांक 14.09.2016 को 02:30 बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय, समस्तीपुर मे दाखिल कर सकते हैं। प्राप्त निविदा को दिनांक 14.09.2016 को ही अपराह्न 05:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

| क्र. सं० | अधिष्ठापन हेतु स्थान | RO Water ATM की क्षमता प्रति घंटा | आवश्यकता | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | अनुमंडल कार्यालय परिसर, दलसिंहसराय | 2000 (दो हजार) ली० | 1 अदद | |
| 2 | सदर (अनुमंडल) अस्पताल परिसर, पटोरी | 2000 (दो हजार) ली० | 1 अदद | |

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें :-

1. तकनीकि निविदा में 25,000/-- (पच्चीस हजार) रुपया मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का लौटाने योग्य ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, समस्तीपुर के पदनाम से देय एवं समस्तीपुर में भुगतान हो, संलग्न रहना चाहिए।
2. निविदादाता को आयकर, वाणिज्यकर निबंधित होना अनिवार्य हैं।
3. निविदादाता को निबंधित प्रतिष्ठान का प्रमाण-पत्र व संस्था का परिचय संलग्न करना अनिवार्य है।
4. वैट, सी.एस.टी. के अंतर्गत निबंधन होने का प्रमाण-पत्र।
5. निविदादाता को अद्यतन आयकर रिटर्न की प्रति एवं पैन कार्ड नं० संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. फर्म के नाम पर गुणवत्ता के लिए ISO प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।
7. RO Water ATM की आपूर्त्ति का अनुभव अनिवार्य होगा।
8. Warrenty एवं Garantee की स्थिति को स्पष्ट करना होगा।
9. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र देना होगा।
10. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्ते मान्य हैं।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें :-

11. वित्तीय निविदा में उपलब्ध सामग्री का नाम एवं प्रति इकाई दर सभी कर सहित देना होगा।

(ग) सामान्य शर्तें :-

12. जिला योजना कार्यालय, समस्तीपुर में मुहरबंद निविदाएँ निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किया जाएगा।
13. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में होना चाहिए।
14. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
15. स्वीकृत आपूर्तिकर्त्ता को विपत्रों पर नियमानुसार कर कटौती के बाद ही विपत्र का भुगतान किया जाएगा।
16. कार्यादेश के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्त्ति एवं अधिष्ठापन निर्धारित समय सीमा के अंदर चिह्नित स्थानों पर करना होगा, जिसके लिए अलग से भाड़ा/कुली देय नही होगी।
17. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को RO Water ATM मशीन का पाँच वर्षो तक रख-रखाव करना होगा।
18. वैट की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
19. विवाद की स्थिति में न्यायालय, समस्तीपुर का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
20. बिना कारण बताए निविदा को स्वीकृति/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
21. किसी विवाद के स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

ह०/- .../8/16

जिला योजना पदाधिकारी
समस्तीपुर।

F:/Sharma/Nivida/Tender